बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

संचिका संख्या – ICDS/30010/01-2011 3201 दिनांक – 07/08/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय – **सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 में संशोधन/नए प्रावधान के संबंध में।**

महाशय,

सरकार द्वारा सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 दिनांक 04.11.2011 एवं उनकी विभिन्न कंडिकाओं एवं उप कंडिकाओं में समय–समय पर संशोधित मार्गदर्शिका पूरे बिहार में लागू है। सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इस मार्गदर्शिका में निम्नांकित संशोधन/नए प्रावधान किये जाते है –

कंडिका/उप कंडिका	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2 (ट)	"बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु. जनजाति, अनु.जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, **अल्पसंख्यक** तथा सामान्य वर्ग।	"बाहुल्य वर्ग" से अभिप्रेत है ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों में सबसे अधिक परिवारों की संख्या वाला वर्ग (जाति समूह) जिसे बिहार सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं/संकल्पों द्वारा संपोषित किया गया है यथा अनु.जनजाति, अनु.जाति, **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित), पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) तथा सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)।**
4/4.2	चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता पूरी करती हो। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी अर्हता प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नही मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गो को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा– 1. अनु.जनजाति 2. अनु.जाति 3. अतिपिछड़ा वर्ग 4. पिछड़ा वर्ग **5. अल्पसंख्यक** 6. सामान्य	चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता रहेगी। सेविका का चयन पोषक क्षेत्र के बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवारों में से ही किया जायेगा, बशर्ते वे कंडिका 4 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता पूरी करती हो। चयन हेतु कंडिका 5 के अनुसार मेधा सूची का निर्धारण करते हुए बाहुल्य वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। अगर बाहुल्य वर्ग में से सभी अर्हता प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नही मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गो को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा – 1. अनु.जनजाति 2. अनु.जाति 3. अतिप्रिछड़ा वर्ग**(अल्पसंख्यक सहित)** 4. पिछड़ा वर्ग**(अल्पसंख्यक सहित)** 5. सामान्य**(अल्पसंख्यक सहित)**
4/4.5	सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।	सेविका/सहायिका को संबंधित पोषक क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए **आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगेयथा –** **1. मतदाता पहचान पत्र।** **2. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक।** **3. राशन कार्ड।** **4. आधार कार्ड।**

		5. उपरोक्त किसी भी दस्तावेज के उपलब्ध न होने की स्थिति में आवेदिका के पति, पिता (परित्यकता/विधवा) अथवा ससुर (परित्यकता/विधवा) के उपरोक्त दस्तावेज, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र (जो विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व की तिथि में निर्गत हो)के साथ मान्य होंगे।
4/4.6	आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।	आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त **आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि** में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। यदि ऑगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में **अनुसूचित जाति की बाहुल्यता होती है तथा सेविका पद हेतु योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नही रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु पंचायत क्षेत्र को इकाई** मानते हुए अनुसूचित जाति की योग्य महिला का चयन किया जा सकता है।
4/4.8	संबंधित जिले के पुरूष जन प्रतिनिधियों की पत्नी/ बहू/ अन्य रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी रिश्तेदार से अर्थ है – माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जन प्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहू और ननद, जन प्रतिनिधि (पुरूष एवं महिला के मामले में) पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखंड में सेविका /सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।	जन प्रतिनिधि (पुरूष एवं महिला) की माँ, पत्नी, बहु, **माता–पिता के साथ स्थायी रूप से निवास करने वाली विवाहित पुत्री एवं सौतेला/दत्तक पुत्र वधू** का चयन ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर नहीं किया जायेगा।
4/4.9	संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिले में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी पुरूष कर्मचारी/ पदाधिकारी की पत्नी/बहू/अन्य रिश्तेदार का चयन ऑगनबाड़ी सेविकां पद पर नहीं किया जायेगा। रिश्तेदार से अर्थ है–माँ (सौतेला/दत्तक पुत्र एवं पुत्री) भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे भाई की पत्नी) पुत्री एवं बहन, तथा इसके साथ सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्धसरकारी महिला कर्मचारी/पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहू, पुत्री और ननद) सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी। संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी या पदाधिकारी जिनकी मासिकं आय रू. 6000/– (छः हजार रूपये) या उससे कम है, उनके ऊपर यह कंडिका लागू नहीं होती है।	**सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्थान (Private Organizations) में कार्यरत नियमित/संविदा आधारित कर्मचारी/पदाधिकारी जिनकी मासिक आय रू. 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये) या उससे ज्यादा है,की माँ, पत्नी, बहू, माता–पिता के साथ स्थायी रूप से निवास करने वाली विवाहित पुत्री एवं सौतेला/दत्तक पुत्रवधू** का चयन ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर नहीं किया जायेगा।
4/4.10	संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के पुरूष विक्रेताओं (जैसे– जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की माँ, पत्नी, बहू, रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगें। [रिश्तेदार से अर्थ है–भाभी (अर्थात् बडे एवं छोटे	संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे – जन वितरण प्रणाली विक्रेता घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की **माँ, पत्नी, बहू, माता–पिता के साथ स्थायी रूप से निवास करने वाली विवाहित पुत्री एवं सौतेला /दत्तक पुत्रवधू** का चयन ऑगनबाड़ी

	भाई की पत्नी) पुत्री एवं बहन,। तथा इसके साथ महिला विक्रेताओं (जैसे– जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) के मामले में पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहू, पुत्री और ननद सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु अयोग्य होगी।	सेविका/सहायिका के पद पर नहीं किया जायेगा।
4/4.11	विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति **अधिकतम 40 प्रतिशत** होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केन्द्र के कार्यो के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।	विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता **न्यूनतम 40 प्रतिशत** होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केन्द्र के कार्यो के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
4/4.13	नया प्रावधान	ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु आवेदन के साथ देश से बाहर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिये जाते है जिनका सत्यापन व्यवहारिक रूप से संभव नही है। (मार्गदर्शिका की कंडिका 8 की उप कंडिका 8.3) अतः ऐसी स्थिति में देश से बाहर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य नही होगें।
5/5.1	मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।	मेधा सूची के निर्धारण में **मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र में दर्ज प्राप्तांक** का प्रतिशत ही आधार रखा जायेगा।
5/5.5	कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:– 1. विधवा 2. परित्यकता 3. विकलांग 4. सहायिका टिप्पणी– विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पंति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यकता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।	कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी – 1. विधवा 2. परित्यकता 3. विकलांग 4. सहायिका मेधा सूची निर्धारण करने हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता एवं उनके वर्गीकरण यथा विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/सहायिका के आधार पर समान अंक प्राप्त होने पर प्राथमिकता का निर्धारण निम्न रूप में किया जायेगा – (i) यदि **शैक्षणिक योग्यता एक समान हो तो अधिक उम्र वाली अभ्यर्थी को प्राथमिकता** दी जायेगी। (ii) यदि **जन्म तिथि भी एक हो तो नाम के वर्णानुक्रम (English Alphabetically) के आधार पर अभ्यर्थी को प्राथमिकता** दी जायेगी। टिप्पणी – विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही है) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुर्नविवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यकता उम्मीदवार को भी अपने परित्यकता होने का सक्षम न्यायालय से प्राप्त **प्रमाण पत्र** आवेदन के साथ जमा करना होग।
5/5.6	मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि	मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से **15 (पन्द्रह) दिनों** के अंदर

	से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।	जिन अभ्यर्थियों के विरूद्व आपत्ति दर्ज कराई गई है, उन्हें **अपना पक्ष रखने** हेतु अवसर देते हुए किया जाय तथा इसकी सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दी जाय। इसके बाद कोई **आपत्ति मान्य नहीं** होगी। (आपराधिक मामलों को छोड़कर)
7/7.1	ऑगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा। अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में सभी अर्हत्ता प्राप्त कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गो को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हत्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से सहायिका का चयन किया जायेगा – (1) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (2) पिछड़ा वर्ग (3) **अल्पसख्यंक** (4) **बाहुल्य वर्ग** (5) सामान्य वर्ग किसी भी वर्ग में एक से अधिक उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में चयन की प्रकिया कंडिका 7.2 के समरूप होगी।	ऑगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा। अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में सभी अर्हत्ता प्राप्त कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में अन्य वर्गो को निम्नांकित वरीयता क्रम देते हुए अर्हत्ता प्राप्त उम्मीदवारों में से सहायिका का चयन किया जायेगा – (1) अत्यंत पिछड़ा वर्ग**(अल्पसंख्यक सहित)** (2) पिछड़ा वर्ग**(अल्पसंख्यक सहित)** (3) सामान्य वर्ग**(अल्पसंख्यक सहित)** किसी भी वर्ग में एक से अधिक उम्मीदवारों की उपलब्धता की स्थिति में चयन की प्रकिया कंडिका 7.2 के समरूप होगी।
7/7.2(iii)	(iii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हो तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि) योग्यताएँ हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना के समय **अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंको को शामिल नहीं किया जाएगा**। इस प्रकार उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा – 1. विधवा 2. परित्यकता 3. विकलांग 4. उम्र में सबसे अधिक	(iii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हो तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे ऊपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि) योग्यता हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। **मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र में दर्ज प्राप्तांक का प्रतिशत ही आधार रखा जायेगा**। इस प्रकार उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा – 1. विधवा 2. परित्यकता 3. विकलांग 4. उम्र में सबसे अधिक
7/7.3	मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से **तीन दिन** के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।	मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपत्तियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से **15 (पन्द्रह) दिनों** के अंदर जिन अभ्यर्थियों के विरूद्व आपत्ति दर्ज कराई गई है, उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु अवसर देते हुए किया जाय तथा इसकी सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दी जाय। इसके बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी (आपराधिक मामलों को छोड़कर)।

8/8.2	विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट –1 में उल्लिखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर सूचना प्रकाशन की तिथि से **एक सप्ताह** के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एंव प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।	विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट –1 में उल्लेखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर सूचना प्रकाशन की तिथि से **15 दिनों** के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। यदि उक्त तिथि को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस को जमा किया जायेगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एंव प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि ऑगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।
8/8.3	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कंडिका – 5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वंय कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन निर्गत प्राधिकार से चयन के बाद कराया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत ही सेविका/सहायिका को मानदेय दिया जायेगा।	आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कंडिका – 5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वंय कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन निर्गत प्राधिकार से **चयन के 60 (साठ) दिनों के अन्दर** कराया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत ही सेविका/सहायिका को मानदेय दिया जायेगा। यदि 45 (पैतालीस) दिनों के अन्दर संबंधित निर्गत प्राधिकार से प्रमाण पत्र सत्यापित नही होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी स्वंय जाकर अथवा अपने अधीनस्थ नियमित कर्मी को भेजकर सत्यापित करायेगी। सत्यापन के क्रम में गलत प्रमाण पत्र साबित होने पर चयनमुक्ति के साथ–साथ विधिसम्मत्त कार्रवाई भी की जाएगी। यदि बिना मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को मानदेय/पोषाहार की राशि दी जाती है तो उसकी पूरी जबावदेही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।
8/8.12 (i)	नया प्रावधान	यदि दो बार आम सभा आयोजित होने के उपरान्त कोई निष्कर्ष नही निकलता है अथवा आम सभा में मारपीट होने की स्थिति बनती है तो अनुमंडल स्तर पर गठित समिति (संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मनोनीत पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, संबंधित बाल विकास परियोजना

		पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, संबंधित वार्ड सदस्य एवं प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत की महिला पर्यवेक्षिका) चयन संबंधी सभी अर्हता पूर्ण करने वाली मेधा कमांक 1 की अभ्यर्थी का सेविका पद पर चयन हेतु बैठक आहूत करेगी। उक्त बैठक की कार्यवाही सभी संबंधित अभिलेखों के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को प्रेषित करेंगी जिस पर एक सप्ताह के भीतर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपनी अनुशंसा/मंतव्य के साथ वापस करेगें।
8/8.13	वार्ड की आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदिकाओं के आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं मेधा सूची के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। सभी अर्हता को पूर्ण करने वाली तथा मेधा सूची में सर्वोच्च अंक/स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वार्ड की आम सभा की बैठक की कार्यवाही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। बैठक की कार्यवाही में चयन समिति के सभी सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित लाभुकों के परिवार के वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा दूसरी प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय में रखी जाएगी।	वार्ड की आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदिकाओं के आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं मेधा सूची के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। सभी अर्हता को पूर्ण करने वाली तथा मेधा सूची में सर्वोच्च अंक/स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। **वार्ड की आम सभा की बैठक की कार्यवाही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक प्रति में तैयार की जाएगी। बैठक की कार्यवाही में चयन समिति के सभी सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित लाभुकों के परिवार के वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसे बाल विकास परियोजना कार्यालय में संधारित किया जायेगा तथा इसकी छाया प्रति आम सभा के 48 घंटे के अन्दर जिला प्रोग्राम कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।**
8/8.18	ऑगनबाड़ी सेविकाओं को अपना कार्य ठीक से करने (विद्यालय पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, ऑगनबाड़ी केन्द्र का लेखा संधारण आदि) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पढ़ने, लिखने, गणित आदि का ज्ञान हो। इसकी जाँच हेतु सभी सेविकाओं के लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। चयनित सेविकाओं को उक्त परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। चयनित सेविका को परीक्षा देने के दो मौके दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित न होने को एक मौका मानते हुए परीक्षा में असफल होना माना जायेगा। परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न होने पर सेविका को चयनमुक्त कर दिया जायेगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।	यह कंडिका नवचयनित ऑगनबाड़ी सेविकाओं पर लागू होगी।
8/8.19	नया प्रावधान	ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रिक्त पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के उपरांत आहूत किये जाने वाली लाभुकों की आम सभा में चयन हेतु सभी अर्हता यथा– उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पोषक क्षेत्र की वर्ग बाहुल्यता इत्यादि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक की स्थिति ही मान्य होगी।
8/8.20	नया प्रावधान	ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के उपरांत यदि मार्गदर्शिका में वर्णित विभिन्न कंडिकाओं के अनुसार ससमय चयन पूर्ण नही हो पाता है तो वैसी स्थिति में प्रकाशित विज्ञापन की मान्यता मात्र एक वर्ष होगी। यदि एक वर्ष के भीतर भी अपरिहार्य कारण से

		चयन पूर्ण नही होता है तो जिला पदाधिकारी द्वारा मात्र एक बार एक माह का अवधि विस्तार किया जा सकता है।
9/9.2	प्रथम बार में सेविका/सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका 4 अथवा 6 में वर्णित सारी अहर्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका/सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। पूर्व से चयनित सेविका/सहायिका के लिए यह प्रक्रिया प्रति तीन वर्ष बाद अपनाई जायेगी।	प्रावधान हटाया जाता है।
11/11.3	नया प्रावधान	यदि सेविका/सहायिका कर्त्तव्य/दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आँगनबाड़ी केन्द्र से 30 दिनों या उससे अधिक तक लगातार अनुपस्थित रहती है (यद्यपि केन्द्र का संचालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ही क्यों न किया जा रहा हो), तो उससे स्पष्टीकरण की मांग की जाय। यदि स्पष्टीकरण ससमय अथवा संतोषप्रद प्राप्त नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संबंधित सेविका/सहायिका के चयन मुक्ति की अनुशंसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को करेंगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्राप्त अनुशंसा के आधार पर दोनो पक्षों की सुनवाई करेंगे तथा सुनवाई के आधार पर चयनमुक्ति की कार्रवाई करेगें तथा नये चयन की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।
चयन पत्र (कंडिका–3)	सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।	सेविका/सहायिका मानदेय आधारित सामाजिक कार्यकर्त्ता है, जो नियमित सरकारी कर्मचारी नही है। सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र अन्तर्गत कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

उपरोक्त संशोधन/नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

विश्वासभाजन

7/8/2015

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक – ICDS/30010/01-2011 3201 दिनांक – 07/08/2015

प्रतिलिपि – मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।'
प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/2015

सचिव